:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान ज़यपुर ::

क्रमांकः सामान्य / के.भं. / क्रय / 96 / 2019–20 / 37389 दिनांक़: 24.09.2019

ई–बोली आमंत्रण सूचना

राज्य की कारागृहों के उपयोगार्थ 2 KVA Line Interactive UPS क्रय करने हेतु ई–बोली आमंत्रित की जाती है। जो दिनांक 30 / 09 / 2019 को सायं 5.00 बजे से प्रारंभ की जाकर वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करके निर्धारित दस्तावेजो के साथ ऑन लाइन इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में निम्न समय सारणी अनुसार वैबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in में प्रस्तुत की जा सकती है:–

1.	बोली दस्तावेज डाउनलोड़ एवं प्रारम्भ करने की तिथि	30 / 09 / 2019 को 5.00 PM से
2.	बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय	09 / 10 / 2019 को 11.00 AM तक
3.	बोली प्रतिभूति, बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस के डीडी / बीसी जमा कराने की तिथि एवं समय	09 / 10 / 2019 को 1.00 PM तक
4.	तकनीकी बोली खोले जाने की दिनांक व समय	09 / 10 / 2019 को 2.00 PM
5.	निविदा खोलने का स्थान	महानिदेशालय कारागार, घाटगेट जयपुर

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्ते एवं अन्य विवरण बोली की वैबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in अथवा विभागीय वैबसाईट www.home.rajasthan.gov.in अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल वैबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं। **UBN :JLD1920GLOB00102**

(विकास कुमार)
महानिरीक्षक कारागार–I
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः सामान्य / के.भं. / क्रय / 96 / 2018–19 / 37390–409 दिनांकः 24.09.2019

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।
2. उपापन समिति, अध्यक्ष / सदस्य / सदस्य सचिव..।
3. नोटिस बोर्ड मुख्यालय / रेंज कार्यालय / मंड़ल कार्यालय (समस्त)।
4. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर को दो प्रतियां विभागीय बैवसाईट पर अपलोड़ करने तथा समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, राजस्थान को सूचनार्थ करने हेतु प्रेषित है।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि ई–बोली आमंत्रण सूचना का राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 43(6) में विहित प्रावधानानुसार 50,000 प्रतियों और उससे अधिक का परिचालन रखने वाले एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र तथा वृहत् परिचालन वाले एक अखिल भारतीय स्तर के दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम स्पेस एवं अनुमोदित दरों पर न्यूनतम 10 दिवस की अवधि के लिए अविलम्ब प्रकाशन करावें।
6. प्रभारी अधिकारी भण्ड़ार एवं सदस्य सचिव, उपापन समिति को प्रेषित कर लेख है कि ई–बोली को एसपीपीपी एवं ई–प्रोक्यूरमेन्ट पोर्टल पर अविलम्ब अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

महानिरीक्षक कारागार–I
राजस्थान जयपुर

महानिदेशालय कारागार राजस्थान घाटगेट जयपुर

क्रमांकः सामान्य/क्रय/के.भ./96/2019–20/ 37389 दिनांकः 24/09/19

ई–बोली आमंत्रण सूचना

राज्य की कारागृहों के उपयोगार्थ 2 KVA Line Interactive UPS क्रय करने हेतु ई–बोली आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 30/09/2019 को सायं 5.00 बजे से प्रारंभ की जाकर वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करके दिनांक 09/10/2019 को प्रातः 11..00 बजे तक निर्धारित दस्तावेजो के साथ ऑन लाइन इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में वैबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in में प्रस्तुत की जा सकती है। डाउनलोड करके ऑन लाइन प्रस्तुत की गई बोली की निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग फीस एवं निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट को स्केन करके प्रस्तुत करना होगा तथा दिनांक 09/10/2019 को दोपहर 1.00 बजे तक कार्यालय में भौतिक रूप से उपस्थित होकर प्रोसेसिंग फीस, बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि के बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराने होंगे। ई–बोली की क्वालीफाईड बिड दिनांक 09/10/2019 को दोहपर 2.00 बजे खोली जावेगी।

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्ते एवं अन्य विवरण बोली की वैबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in अथवा विभागीय वैबसाईट "www.home.rajasthan.gov.in" अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल (www.sppp.rajasthan.gov.in) पर देख सकते है।

क्र. सं.	वस्तु का नाम	अनुमानित मात्रा	कुल अनुमानित कीमत रू. (लाखों में)	बोली प्रतिभूति राशि 2% (रूपयों में)	बोली प्रपत्र शुल्क	आपूर्ति अवधि
1.	2 KVA Line Interactive UPS	106	18.00	36,000/-	1000	30 दिवस

बोली की मुख्य शर्ते :–

1. निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूतिः– महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। के नाम जारी बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में दी जायेगी।
2. बोली के साथ राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड की प्रोसेसिंग फीस प्रबंधक निदेशक, आर.आई.एस.एल. (MD RISL) के नाम जारी बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निम्नानुसार अलग से दी जायेगी।
    1. यदि बोली की लागत राशि रूपये 50.00 लाख से कम है –रूपये 500/–प्रति बिडर प्रति बोली
    2. यदि बोली की लागत राशि रूपये 50.00 लाख से अधिक है–रूपये 1000/– प्रति बिडर प्रति बोली
3. निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि एवं प्रोसेसिंग फीस के अलग–अलग बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट को स्केन कर ऑन लाईन बोली के साथ उपलब्ध कराना होगा तथा यूपीएस हेतु दिनांक 09/10/2019 को दोपहर 1.00 बजे तक इस कार्यालय में उपस्थित होकर भौतिक रूप से बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि एवं प्रोसेसिंग फीस के बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराने होंगे। निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि, प्रोसेसिंग फीस के अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी। बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस किसी भी परिस्थिति में नहीं लौटाया जावेगा।
4. यूपीएस की बोली दिनांक 09/10/2019 को दोपहर 2.00 बजे खोली जावेंगी। क्वालिफाईंग बिड में योग्य पाये गये बोलीदाताओं की बोली में अंकित यूपीएस की प्राईस बिड यथा शीघ्र खोली जानी संभावित है। नवीनतम जानकारी के लिए उक्त वैबसाईट एवं राज्य सरकार के उपापन पोर्टल को देखा जा सकता है।
5. जो बोलीदाता ई–बोली (e-Bid) में भाग लेना चाहते है सर्वप्रथम उन्हें वैबसाईट पर http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर पंजीकरण कराना होगा। उसके पश्चात जो बोलीदाता ऑन लाईन टेण्डर्स में भाग लेना चाहते है, उन्हें सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 (I.T.Act 2000) के तहत डिजीटल सर्टिफिकेट (Type II व Type III) लेना होगा। बोलीदाता किसी भी अनुमोदित

सी.सी.ए .(Certificate Certifying Authority) एजेन्सी से डिजिटल सर्टिफिकेट ले सकते है। जिन बोलीदाताओं के पास पहले से ही उक्तानुसार वैध डिजीटल सर्टिफिकेट उपलब्ध है, उन्हें पुनः डिजीटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

6. जो बोलीदाता ई–बोली में भाग लेना चाहते है वे वांछित दस्तावेजों के साथ वैबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर ऑन लाईन इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में निर्धारित दिनांक एवं समय तक बोली प्रस्तुत कर सकते है।

7. (i) सभी आईटम्स के लिए बोली आमंत्रण सूचना में वर्णित सूचना के अनुसार आईटम्स की बोलियां संबंधित आईटम के निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु) एवं इनके निर्माता द्वारा प्राधिकृत डीलर/प्राधिकृत प्रतिनिधि जिसे विशेष रूप से निर्माता द्वारा अधिकृत किया गया है, द्वारा दी जाऐंगी। बोलीदाता द्वारा अपने स्टेटस के संबंध में बोली के साथ संलग्न परिशिष्ट–'द' में घोषणा पत्र भरकर उपलब्ध करवाया जावेगा एवं लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ दिये जायेगे।

8 <u>राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम हेतु आरक्षणः–</u>

(i) किसी भी आइटम की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत, वे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम पात्र मानी जावेगी जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप मे बोली जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त होना चाहिए।

(ii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जाकर वांछित शपथ पत्र बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत किये जावेंगे। जिसके अभाव में बोली निरस्त की जा सकती है।

(iii) राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जिन्हें उधोग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उधमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा अद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त हो के अतिरिक्त अन्य फर्मो को बोलीओं के साथ बोली सूचना में अंकित निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। फर्म जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है, उनके द्वारा <u>बोली सूचना में अंकित बोली प्रतिभूति राशि की चौथाई राशि बोली के साथ मान्य स्वरूप मे एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है।</u> राजस्थान राज्य में अभिस्वीकृति प्राप्त उद्यमों को बोली प्रतिभूति राशि में छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही बोली प्रतिभूति राशि में छूट प्रदान की जा सकेगी। उक्त शपथ पत्र के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया जावेगा और निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(iv) स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए आरक्षित उत्पादों से भिन्न उत्पादों के उपापन हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार स्थानीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यमों को मूल्य एव क्रय अधिमान प्रदान किया जायेगा। यह लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु सं. 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप 'A' में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। साथ ही इन फर्मो द्वारा उद्यमिता ज्ञापन भाग II/UAM एवं बिन्दु सं. 11 के निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(v) राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बोली प्रपत्र, निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क के 50% के बराबर लागत पर उपलब्ध कराया जायेगा जबकि प्रदायक फर्म द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित होगी। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 में अंकित फार्म श्ठश के अनुसार शपथ पत्र ऑनलाईन बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत करने होंगे। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी।

(vi) राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना मे विभागीय कमेटी द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की उत्पादन एवं उत्पाद की गुणवत्ता की जांच हेतु सुनिश्चित की जावेगी एवं उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जावेगा।

(vii) राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 में अंकित नियमो के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

9. राज्य से बाहर स्थित फर्म की दरें न्यूनतम आती हैं तो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम–66 एवं प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स (प्रीफरेन्स टू एमएसएमई ऑफ राजस्थान) नियम 2015 अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 04 के अनुसार, सुक्ष्म एवं लघु उद्यमों को मूल्य वरीयता प्रदान की जावेगी।

10. बोली के साथ बोलीदाता वैध जीएसटी पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं GSTR/ GSTR चालान (इस संबंध में बोली परिशिष्ट–स की शर्त संख्या 4(ii) देखें) की प्रमाणित प्रति ऑनलाईन प्रस्तुत करवायेंगे।

11. जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र में बोलीदत्त वस्तु या वस्तुओं के ग्रुप का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

12. समस्त प्रमाण–पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होने चाहिए। अन्य किसी भाषा में प्रमाण–पत्र है तो वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवादित हो तथा सत्यापित किया हुआ हो।

13. बोली की वैधता –प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन तक मान्य होगी।

14. यदि कोई बोलीदाता किसी वित्तीय वर्ष की सप्लाई करने या आंशिक सप्लाई करने में असफल रहता है और उसकी सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या सम्पूर्ण कार्य सम्पादन प्रतिभूति या यथा स्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन किसी उपापन संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रकिया या उपापन संविदा में समपहृत कर लिया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन संस्था द्वारा हाथ में ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रकिया में भाग लेने से तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।

15. किसी वस्तु के व्यवसाय में नये प्रविष्ट होने वाले निर्माता/डीलर को अपने बैंकर का परिचय पत्र ऑनलाईन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

16. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए।

17. विस्तृत शर्तो के लिए विभागीय बोली परिशिष्ट– अ, ब स, द एवं इ तथा अनुलग्नक–अ, ब, स का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके बोली में भाग ले सकते है। उक्त मुख्य शर्तो एवं विभागीय बोली परिशिष्ट अ, ब, स, द एवं इ तथा अनुलग्नक–अ, ब, स में उल्लेखित शर्तो के विपरीत कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी। सभी विभागीय बोली शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप परिशिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक–'ब' डाउनलोड करने के बाद पूर्ति कर हस्ताक्षर करके ई–बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी। यदि किसी बोलीदाता ने विभागीय शर्तो के विपरीत कोई शर्त लगाई है तो वह बोली निरस्त कर दी जावेगी और ई–बोली में उसके आगे के चरण (Stages) को नहीं खोला जावेगा।

18. बोलीदाता को इस तरह के उपकरण/आईटम की आपूर्ति करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। जिसके प्रमाण स्वरूप सन्तोषजनक कार्य का अनुभव प्रमाण–प्रत्र सरकारी विभाग/उपक्रम का प्रस्तुत करना होगा।

19 फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर ही विभागीय उपापन समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रकियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण RTPP Rules 2013 के प्रावधानानुसार प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।

20. विभागीय उपापन समिति के निर्णायनुसार महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। किसी भी बोली अथवा उसके भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार कर सकेगें।

21. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम की शर्तें/प्रावधान लागू होंगे।

22. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत प्रथम अपील अधिकारी महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर होंगे एवं द्वितीय अपील अधिकारी प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर होंगे।

23. विभाग द्वारा चाहे गये दस्तावेजों के अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी। इसके लिए अतिरिक्त समय/अवसर नहीं दिया जावेगा।

24. बजट की उपलब्धता के अनुसार क्रय किये जाने वाले उपकरणो/आईटमो की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

25. समस्त उपकरणों का इन्स्टॉलेशन संबंधित फर्म द्वारा ही किया जावेगा।

26. बोली के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या हो तो निम्न अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है :–

1. महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर
   दूरभाष नं. 0141–2601047 ई–मेल purchasejhq@gmail.com
2. अधीक्षक, भण्ड़ार, मुख्यालय कारागार राजस्थान, जयपुर।
   दूरभाष नं. 0141–2619202 ई–मेल purchasejhq@gmail.com

(विकास कुमार)
महानिरीक्षक कारागार–I
राजस्थान, जयपुर

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

(बोली प्रपत्र–क्वालीफाईंग बिड) –

परिशिष्ट ''अ''

घोषणा

बोली आमंत्रण सूचना कमांकः दिनांक :–

(I) .... के लिए बोली

(खाली स्थान में उस आईटम का नाम लिखे, जिसके लिए बोली दी गई है)

(II) बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म :–..

का नाम व डाक का पूर्ण पता :–..

दूरभाष एवं फैक्स नम्बर ईमेल सहित :–..

....

(III) बोली जिसे प्रस्तुत करनी है महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर ।

(IV) सन्दर्भ :– बोली आमंत्रण सूचना संख्याः–.......................................

दिनांक .... जो ....(समाचार पत्र का नाम) दिनांक .... में प्रकाशित हुई है ।

(V) बोली प्रपत्र शुल्क :– राशि रूपये .... बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या......................... दिनांक .... द्वारा जमा करा दी गई है ।

(VI) प्रोसेसिंग फीस :–राशि रूपये....................................डीडी नं.......................................दि0.........................
..जमा करा दी है।

(VII) हम बोली आमंत्रण सूचना संख्या .... दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तो से तथा विभागीय शर्तो से संबंधित परिशिष्ट ''स'' तथा परिशिष्ट ''इ'' में वर्णित शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। परिशिष्ट ''स'' तथा परिशिष्ट ''इ'' के समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तो को स्वीकार किये जाने के प्रमाण–स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा दोनों परिशिष्ट हस्ताक्षर शुदा संलग्न हैं।

(VIII) हम सहमत हैं कि विभाग द्वारा बोली आमंत्रण सूचना में अंकित सप्लाई अवधि में समस्त माल की सुपुर्दगी कर दी जाएगी ।

(IX) हम सम्पुष्टि करते है कि ''प्राईस बिड'' में अंकित की गई दरें ''प्राईस बिड'' खुलने की तिथि से 90 दिन तक विधि मान्य है ।

(X) हम सम्पुष्टि करते हैं कि ''प्राईस बिड'' में अंकित दरें विभागीय परिशिष्ट ''इ'' में अंकित स्पेसिफिकेशन के लिये हैं ।

(XI) हमारा जीएसटी पंजीयन संख्या..है।

(XII) हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईस बिड स्वीकार होने की सूचना से निर्धारित अवधि में निर्धारित प्रारूप में विभाग से करार निष्पादन करेगें, जिसके अभाव में बोली निरस्त योग्य है ।

(XIII) हम सम्पुष्टि करते हैं कि आवश्यक दस्तावेज के अभाव में बोली निरस्त करने योग्य है। आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये गये है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

S.No.	Type of Certificate & Other informations	Yes/ No	Date of issue/ validity
1-	Whether bid document fee is submitted with e-bid. Provide details Banker Cheque/ DD no......... dt............		
2-	Whether Bid security submitted with e-bid. provide details DD/Banker Cheque/Challan receipt no......... dt........... amount		
3-	Whether Bid Processing fee sumitted with e-bid. provide details DD/Banker Cheque/Challan receipt no......... dt........... amount		
4-	Whether agreed with all bid conditions		
5-	Whether annexure – D have been downloaded, signed and submitted with e-bid		
6-	Whether GST registration certificate is submitted with e- bid		
7-	Whether GST clearance certificate is submitted with e- bid		
8-	If tax clearance certificate is not issued by the concerned govt, copy of the challan tax return/GSTR be submitted with e- bid		
9-	Whether SSI registration certificate issued by the Govt. of Rajasthan is submitted with e- bid		
10-	Whether Form "A"& "B" as per Rule 10&11 of decleration Dated 19.11.15 of Rajasthan procurement of Goods (Preference to MSME of Rajasthan Rules 2015) is submitted with e-bid.		
11-	Whether original manufacturer's certificate for the item submitted with e- bid		
12-	Whether certificate regarding authorized dealer/ authorized representative issued by the manufacturer is submitted with e- bid.		
13-	Whether relevant ISO certification submitted with e- bid		
14-	If bidder has an authorised representative based in Jaipur, name address and contact number should be submitted with e- bid		
15-	Whether sealed samples of the items as per detailed in annexure 'E', will be submitted in time		
16-	If bid is submitted as authorised dealer, following certificate are to be submitted : i) Authorisation issued by the manufacturer ii) Manufacturer GST registration certificate iii) Certificate issued by the concerned industries department, regarding manufacture of the particular item, bidding for.		
17-	Bankers certificate regarding running bank account, if bidder has submitted bid for the first time		

(XIV) हमारे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में है तथा अन्य भाषा में होने पर उनका हिन्दी अथवा अंग्रेजी का स्वयं द्वारा प्रमाणित रूपान्तरण भी प्रस्तुत किया गया है ।

(XV) हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईस बिड हमारे द्वारा ई–बोली में निर्धारित तरीके से प्रस्तुत की गई है।

<u>नोट :–</u>

1. कम संख्या (XIII) में अंकित संलग्न को में दस्तावेज प्रस्तुत किया है अथवा नही उसके **<u>आगे 'Yes' or 'No' उसके जारी होने की तिथि/(</u>** <u>Issuing date Validity date</u> **<u>) वैधता अवधि अंकित करना आवश्यक है</u>** इसका उतरदायित्व बोलीदाता का है इसके अभाव में बोली अमान्य कर दी जावेगी ।

2. **बोली भरने की प्रकिया :–**

(ए) परिशिष्ट ''अ'' क्वालीफाईंग बिड है क्वालीफाईंग बिड के साथ समस्त प्रमाण पत्र एवं परिशिष्ट ''अ'' ''स'' ''द'' एवं ''इ'' तथा अनुलग्नक अ,ब,स, में अंकित शर्तो की स्वीकार्यता की सहमति के लिए परिशिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक 'ब' डाऊनलोड करके उस पर हस्ताक्षर उपरान्त ई–बोली के साथ उपलब्ध कराना होगा तथा निर्धारित दिनांक एवं समय पर संबंधित आइटम के परिशिष्ट–इ में अंकितानुसार साईज एवं रंग के दो सैम्पल हस्ताक्षर शुदा कपड़े में शील करके निर्धारित दिनांक एवं समय पर प्रस्तुत किए जावेंगे।

(बी) <u>परिशिष्ट ''ब'' प्राईस बिड है उसे ई–बोली में निर्धारित प्रारूप में भरा जावे। योग्य बोलीदाताओं की ही प्राईस बिड खोली जावेगी।</u>

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट ''ब''

(बोली प्रपत्र–प्राईस बिड)

बोली आमंत्रण सूचना कमांकः दिनांक :–

1. .... के लिए बोली
(खाली स्थान में उस आईटम का नाम लिखे, जिसके लिए बोली दी गई है)

2. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म :–...
का नाम व डाक का पूर्ण पता :–...
दूरभाष एवं फैक्स नम्बर मय ईमेल सहित :–...

3. बोली जिसे प्रस्तुत करनी है :– महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर ।

4. सन्दर्भ :– बोली आमंत्रण सूचना संख्याः–.......................................
दिनांक .... जो ....
(समाचार पत्र का नाम) दिनांक .... में प्रकाशित हुई है।

5. निम्नलिखित आईटम के लिए दरें एवं मात्रा निम्न प्रकार होगीः–
(क)परिशिष्ट 'इ' में अंकित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप आईटम
का नाम :– ....
(ख)मात्रा :–...
(ग)दरें –एफ.ओ.आर.केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. जयपुर, निम्नानुसार अंकित करे :–
(i) दरें –(प्रति जोडा/प्रति नग/प्रति मीटर/प्रति सैट) :–
अंको में **ई–टेण्डरिंग के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दी जावे।**
शब्दो में **ई–टेण्डरिंग के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दी जावे।**
(ii) विभिन्न कर :– As applicable at the time of supply.
ई–टेण्डरिंग के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दी जावे।

नोटः–

(i) दरें शब्दो एवं अंको दोनो रूप में लिखी जावे। दरों में कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नही होवे ।

(ii) **<u>अस्पष्ट वाक्य जैसे</u>**:– 'टैक्स पेड, कर सहित, 'एज़ एप्लीकेबल' का प्रयोग नहीं किया जावे ।

(iii) आईटमों की दरों हेतुः–

(अ) यदि किसी आईटम की विभिन्न साईज है तो एक ही दर अंकित की जावे। यदि विभिन्न साईज की अलग–अलग दरें अंकित की जावेंगी तो बोली अमान्य कर दी जावेगी ।

(ब) यदि एक ही प्रकार की गुणवत्ता अलग–अलग हो तो एक ही दर अंकित की जावे। यदि रंग के आधार पर दरें अलग–अलग दी जाती हैं तो बोली पर विचार नही किया जावेगा।

6. जीएसटी में यदि कोई रियायत उपलब्ध है अथवा चाही गई हो तो तत्सम्बन्धी बात का स्पष्ट उल्लेख करें एवं इससे सम्बन्धित सक्षम अधिकारी के प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति प्राईस बिड के साथ संलग्न करें ।

7. **बोली भरने की प्रकियाः–**
ई–बोली प्रस्तुत करने की विस्तृत प्रकिया बोली आमंत्रण सूचना एवं परिशिष्ट–अ उल्लेखित कर दी गई है। तदनुरूप ही बोली प्रस्तुत की जावे अन्यथा बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट–''स''

खुली बोली के लिए बोली एवं संविदा की सामान्य शर्तें

नोटः– बोलीदाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढना चाहिये तथा ऑन लाईन इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में वैबसाईड पर प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये।

1. बोली भरने की प्रकियाः– बोली आमंत्रण सूचना में दी गई मुख्य शर्तो में अंकित है जिसकी पूर्ण पालना आवश्यक है ।

2. विभिन्न श्रेणी के बोलीदाताओं हेतु विशेष शर्ते :–

(अ) निर्माता द्वारा बोलियांः–

(i) सभी आईटम्स के लिए बोली आमंत्रण सूचना में वर्णित सूचना के अनुसार आईटम्स की बोलियां संबंधित आईटम के निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु) एवं इनके निर्माता द्वारा प्राधिकृत डीलर/प्राधिकृत प्रतिनिधि जिसे विशेष रूप से निर्माता द्वारा अधिकृत किया गया है, द्वारा दी जाऐंगी। बोलीदाता द्वारा अपने स्टेटस के संबंध में बोली के साथ संलग्न परिशिष्ट–'द' में घोषणा पत्र भरकर उपलब्ध करवाया जावेगा एवं लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ दिये जायेगे।

(ii) बोलीदाता द्वारा संबंधित वस्तु के वास्तविक निर्माता होने के संबंध में उधोग विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत करवानी होगी ।

(ब) राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम आरक्षणः–

(i) किसी भी आइटम की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत वे फर्मे पात्र मानी जावेगी जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप मे बोली जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व उद्यमिता ज्ञापन ॥ अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त होना चाहिए।

(ii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जाकर वांछित शपथ पत्र बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत किये जावेंगे। जिसके अभाव में बोली निरस्त की जा सकती है।

(iii) राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जिन्हें उधोग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उधमिता ज्ञापन ॥ अभिस्वीकृति अथवा अद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त हो के अतिरिक्त अन्य फर्मो को बोलियों के साथ बोली आमंत्रण सूचना में अंकित निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। फर्म जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन ॥ अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है, उनके द्वारा बोली आमंत्रण सूचना में अंकित बोली प्रतिभूति राशि की चौथाई राशि बोली के साथ मान्य स्वरूप मे एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान राज्य में अभिस्वीकृति प्राप्त उद्यमों को बोली प्रतिभूति राशि में छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही बोली प्रतिभूति राशि में छूट प्रदान की जा सकेगी। उक्त शपथ पत्र के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया जावेगा और निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(iv) स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए आरक्षित उत्पादों से भिन्न उत्पादों के उपापन हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार स्थानीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यमों को मूल्य एव क्रय अधिमान प्रदान किया जायेगा। यह लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु सं. 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप 'A' में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। साथ ही इन फर्मो द्वारा उद्यमिता ज्ञापन भाग ॥/UAM एवं बिन्दु सं. 11 के निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(v) राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बोली प्रपत्र, निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क के 50% के बराबर लागत पर उपलब्ध कराया जायेगा जबकि प्रदायक फर्म द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित होगी। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 में अंकित फार्म श्ठश के

अनुसार शपथ पत्र बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत करने होंगे। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी।

(vi) राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना मे विभागीय कमेटी द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की उत्पादन एवं उत्पाद की गुणवत्ता की जांच हेतु सुनिश्चित की जावेगी एवं उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जावेगा।

(vii) राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 में अंकित नियमो के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

3. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर को लिखित में बोलीदाता द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नही किया जाएगा ।

(ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को बोलीदाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नही किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नही हो जाते एवं महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नही कर देते । प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबकों बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिए वह पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

4. <u>जीएसटी</u> /GSTR व चालान की प्रति :–

(i) कोई भी डीलर जो अपने व्यवसाय स्थल के राज्य में प्रचलित जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नही है, वह बोली नही दे सकेगा। बोलीदाता द्वारा पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाऐगा। प्रमाण–पत्र की प्रति ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी।

(ii) बोलीदाता द्वारा GSTR व बोली से ठीक पूर्व जमा कराये गये जीएसटी के चालान की प्रति को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा।

(iii) यदि किसी वस्तु पर जीएसटी लगता है तो उसकी दर फर्म द्वारा आवश्यक रूप से अलग से प्रस्तुत की जावेगी। यदि किसी फर्म ने कर सहित दरें प्रस्तुत की है तो उसमें जीएसटी की दर अलग से दर्शानी/बतानी होगी।

5. जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र में बोलीदत्त वस्तु या वस्तुओं के ग्रुप का नाम होना चाहिए जिससे यह जानकारी हो सके कि वह बोलीदत्त वस्तु में व्यापार करता है।
नोटः–,जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र में बोलीदत्त वस्तु या वस्तुओं के ग्रुप का नाम अंकित होना चाहिए या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ऐसा प्रमाण पत्र जिसमे यह स्पष्ट हो कि वह बोलीदत्त वस्तु में व्यापार/व्यवहार करता है।

6. बोलीदाता बोली एवं बोली की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप परिशिष्ट–'द' डाऊन लोड करने के बाद अपने हस्ताक्षर उपरान्त उपलब्ध कराके ई–बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत करें। बोली के साथ संलग्न अनुलग्नक 'ब' डाउन लोड करने के बाद अपने हस्ताक्षर उपरान्त ई–बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत किया जावेगा। यदि बोलीकार द्वारा उक्तानुसार परिशिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक 'ब' ऑनलाईन प्रस्तुत नहीं करवाया गया है तो बोली निरस्त कर दी जावेगी।

7. यदि कोई बोलीदाता सप्लाई करने या आंशिक सप्लाई करने में असफल रहता है तो उसे तीन वित्तीय वर्ष तक विभागीय बोलियों में भाग लेने के लिए रोका जा सकता है।

8 <u>दरें</u> :–

(i) बोली में दरे शब्दो एवं अंको दोनो रूप में लिखी जावेंगी । इसमें कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नही होना चाहिये । यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए ।

(ii) बोली मूल्याकंन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी :–

(क) ईकाई मूल्य (Unite Price) और कुल मूल्य (Total Price) जो ईकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है, के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो ईकाई मूल्य प्रभावी (Prevail) होगा। अर्थात ईकाई मूल्य स्वीकार किया जावेगा और कुल मूल्य में सुधार किया जावेगा। जब तक कि बोली मूल्याकंन समिति की राय में ईकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गई है, ऐसे मामलों में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और ईकाई मूल्य में सुधार किया जावेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक (Sub Total) प्रभावी (Prevail) होंगे और कुल योग में सुधार किया जावेगा।

(ग) यदि शब्दों और अंको के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गई रकम तब तक प्रभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो।

ऐसे मामलों में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन न रहते हुए अंको में अभिव्यक्त रकम प्रभावी होगी।

(iii) बोली में दरें एक्साईज डयूटी सहित ही अंकित की जावे । लेकिन एक्साईज ड्यूटी की दरें भी पृथक से अंकित की जावे । एक्साईज ड्यूटी में कालान्तर में हुई कमी एवं वृद्वि होने पर उसके अनुसार भुगतान किया जावेगा ।

(iv) बोली में दर अंकित करते समय GST अलग से अंकित की जावे व GST की कुल राशि या प्रतिशत अवश्य अंकित की जावे । अस्पष्ट वाक्य, जैसे "टैक्स पैड" "कर सहित" "एज एप्लीकेबल" का प्रयोग नहीं किया जावे । टैक्स में रियायत मिली हुई है तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख करें एवं इसका प्रमाण भी प्रस्तुत करे। यदि सरकार द्वारा GST में कालान्तर में बढोतरी या कमी की जाती है तो उसी के अनुसार भुगतान किया जावेगा।

(v) बोली में दर अंकित करते समय चुंगीकर (यदि कोई हो तो) अलग से अंकित की जावे तथा चुंगीकर की राशि या प्रतिशत भी अंकित किया जावे ।

(vi) बोली में दरें परिशिष्ट "इ" के अनुसार गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. अंकित की जानी चाहिये तथा उसमें चुंगीकर, केन्द्रीय जीएसटी/बिक्रीकर/वेट के अलावा समस्त प्रकार के टैक्स एवं आनुषंगिक (Incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिये । राज्य सरकार द्वारा कोई गाडी भाडा या परिवहन प्रभार नहीं दिया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी परिशिष्ट 'इ' में अंकित परिसरों पर दी जाऐगी ।

(vii) बोली में दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार की रिबेट/छूट घटाकर शुद्ध दरें (NET) ही दी जावे ।

(viii) सप्लाई के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नही होगी । अतः बोली में दर अंकित करते समय अग्रिम भुगतान की शर्त नही दी जावे। यदि अग्रिम भुगतान की शर्त लगाई जाती है तो सशर्त बोली मानकर निरस्त कर दी जावेगी।

(ix) सप्लाई के समय माल प्राप्त होने पर निरीक्षण उपरान्त माल विभागीय स्पेशिफिकेशन/सैम्पल के अनुसार पाये जाने पर यथाशीघ्र भुगतान कर दिया जावेगा । अतः बोली में दर अंकित करते समय माल की सप्लाई के पूर्ण करने पर भुगतान हेतु समय सीमा की शर्त अंकित नही की जावे। यदि भुगतान हेतु समय सीमा अंकित की जावेगी तो सशर्त बोली मानकर निरस्त की जा सकेगी।

(x) विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार ही बोली में दरें अंकित की जावें। विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार नही दी गई दरें अमान्य होगीं व बोली निरस्त की जा सकेगी ।

(xi) बोली दरें खुलने के पश्चात यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर में कमी करता है तो वह प्रस्तावों में उपान्तरण माना जावेगा। जिसके कारण उसकी बोली निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

(xii) बोलीदाता द्वारा बोली सूचना में अंकित पूर्ण मात्रा हेतु बोली दी जावेगी । बोली सूचना में अंकित मात्रा से कम मात्रा हेतु दी गई बोली मान्य नही होगी। जिसके आधार पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।

(xiii) किसी आईटम की विभिन्न साईज है तो प्राईस बिड में सभी साईज की एक ही दर अंकित की जावे। यदि विभिन्न साईज की अलग–अलग दरें अंकित की जावेगी तो उसकी बोली अमान्य की जावेगी।

9. <u>दरों की तुलनाः–</u>

(i) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 66 के अनुसार राजस्थान के बाहर स्थित फर्म एवं राजस्थान में स्थित फर्म द्वारा दी गई दरों की तुलना के समय राजस्थान की फर्मो द्वारा प्रस्तुत की गई दरों में जीएसटी को दरों में शामिल नही करने एवं राजस्थान से बाहर की फर्मो की दरों में जीएसटी को शमिल करने सम्बन्धी प्रकिया तत्समय प्रभावी नियमों के अनुरूप की जावेगी।

(ii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार राजस्थान के उद्यमों द्वारा उत्पादित/विनिर्मित माल को राजस्थान के बाहर के उधोगो द्वारा उत्पादित /विनिर्मित माल पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के तहत क्रय वरीयता दी जावेगी।

(iii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार यदि सामान के प्रदाय का प्रस्ताव करने वाला कोई बोलीदाता राजस्थान में अवस्थित कोई डीलर है और निविदत्त मूल्य राजस्थान के उद्यमों द्वारा प्रस्तावित दरों के बराबर है और सामान की किस्म और विनिर्देश वही है तो राजस्थान के उद्यमों को ऐसे स्थानीय डीलर पर क्रय अधिमान दिया जावेगा।

(iv) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रसारित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए भी दरों की तुलना की जावेगी ।

10. बातचीत (Negotiation) :–

(i) जहॉ तक संभव हो बोलीकारों से कोई बातचीत (Negotiation) नहीं किया जावेगा, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी :–

(क) जब बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमतें (Ring Price) दी गई हो या

(ख) जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में भारी अन्तर हो।

(ii) न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले को बातचीत (Negotiation) के लिए बुलाने के लिए न्यूनतम 7 दिवस का समय दिया जावेगा। किन्तु अत्यावश्यकता की स्थिति में मूल्याकंन समिति उक्त समय सीमा को कम कर सकेगी, बशर्ते न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को सूचना प्राप्त हो गई हो।

11. बोली की विधि मान्यताः–

दरों की वैद्यता प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी। निर्धारित विधि मान्यता की अवधि से कम अवधि के लिए कोई बोली (बोली) गैर प्रत्युत्तरदायी (Non-Responsive bid) के रूप में मानकर अस्वीकार कर दी जावेगी।

12. अनुमोदित सप्लायर के लिए यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेसिफिकेशन, साईज, मेक एवं ड्राईग आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर ली है । यदि उसे इन शर्तो के किसी भाग, स्पेशिफिकेशन, ड्राईग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो तो वह बोली प्रस्तुत करने से पूर्व अपना आवेदन महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर को भेजेगा तथा उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा ।

13. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा ।

14 स्पेसिफिकेशनः–

(i) प्रदाय की जाने वाली सभी वस्तुए बोली एवं बोली शर्तो से संबंधित परिशिष्ट 'इ' में निर्धारित स्पेसिफिकेशन / ट्रेडमार्क / सैम्पल के पूर्णतया अनुरूप होगी । ऐसे मामलो मे जहॉ कोई स्टैण्डर्ड या अनुमोदित नमूना या स्पेसिफिकेशन नहीं हो, उस स्थिति में सप्लायर द्वारा भारत में उपलब्ध अति–उत्तम गुणवता एवं विवरण की वस्तु सप्लाई की जावेगी । प्रदाय की गई वस्तुओ की गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन के संबंध में महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा तथा लिया गया निर्णय बोलीदाताओ के लिए अंतिम एंव मान्य होगा ।

(ii) यदि प्रदाय की जाने वाली वस्तुऐ निर्धारित स्तर के अभाव में अस्वीकार कर दी जाती है, तो अस्वीकृत माल के बदले निर्धारित स्तर की वस्तु देने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता (बोलीदाताओं) की होगी तथा बोलीदाता (बोलीदाताओं) को अस्वीकृत किये माल के बदले निर्धारित स्तर का माल बिना अतिरिक्त कीमत के क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही देना होगा।

(iii) अस्वीकृत किया गया माल बोलीदाता (बोलीदाताओं) द्वारा अस्वीकृति की सूचना के 15 दिन के अन्दर विभागीय परिसर से वापिस ले जाना होगा । 15 योम के पश्चात् विभागीय परिसर से माल नही ले जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित भण्डारण व्यय बोलीदाता से वसूली जावेगी। माल अस्वीकृत होने की सूचना के 30 योम पश्चात बोलीदाता (बोलीदाताओं) द्वारा विभागीय परिसर से माल नही ले जाने पर विभाग को उसका निस्तारण करने हेतु पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत माल के संबंध में यथोचित सुरक्षा रखी जावेगी, लेकिन विभागीय परिसर में ऐसे अस्वीकृत माल की क्षति,कमी,घाटा,नाश, टूट,फूट, हानि होने पर विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।

(iv) बोलीदाता द्वारा परिशिष्ट 'इ' में अंकित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही बोली प्रस्तुत की जावेगी। अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर प्रस्तुत बोली निरस्त कर दी जावेगी।

15. सैम्पल :–

(i) ई–बोली में अंकित उपकरणों का डेमोस्ट्रेशन/प्रजेन्टेशन बोली खुलने के तीन दिवस में करने के निर्देश दिये जा सकते है जिसकी पालना फर्म को आवश्यक रूप से करनी होग

16 निरीक्षण एवं परीक्षण :–

(i) (A) महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर सप्लायर के परिसर में जा सकेगा तथा वह संबंधित वस्तु के विनिर्माण के समय या उसके पश्चात जैसा भी निश्चित किया जाऐगा, माल/उपकरण/मशीनरी की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जांच कर सकेगा।
(B) राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना मे विभागीय कमेटी द्वारा राजस्थान राज्य की लघु उद्योग इकाई की उत्पादन क्षमता के बारे में और किस्म नियंत्रण के उपाय स्थापित है, के समाधान हेतु उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जावेगा।

(ii) बोलीदाता अपने कार्यालय के परिसर, गोदाम,वर्कशाप का पूर्ण पता देगा जहां सप्लाई होने वाले माल का निरीक्षण किया जा सके तथा उन व्यक्तियो के नाम व पते देगा जिनसे इस संबंध में सम्पर्क किया जावे । व्यवसाय में नये प्रविष्ट होने वाले डीलर को अपने बैकर्स से एक परिचय पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

(iii) सप्लाई प्राप्ति के समय यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण व जांच की जावेगी कि वे निर्धारित स्पेासिफिकेशन के अनुरूप है या नही । जहाँ आवश्यक हो, प्रावधित किया गया हो या व्यवहारिक हो, वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओ/प्रतिष्ठित परीक्षण गृहो में करवाया जावेगा तथा परीक्षण पर यदि सामान विहित स्पेसिफिकेशन के स्तर के अनुरूप पाया जाऐगा तो उन्हे स्वीकार किया जाएगा ।

(iv) परीक्षण प्रभार :– बोलीदाता से सामान प्राप्त होने पर विभाग द्वारा जिस सामान का परीक्षण कराया जायेगा उसके परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे । यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया समान विहित स्तर या स्पेसिफिकेशन के अनुसार नही है तो, परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जावेंगे।

(v) निरीक्षण प्रभारः– विभाग द्वारा जिन वस्तुओं की प्रदायगी सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्ठित निरीक्षण गृहो से निरीक्षण (Inspection) उपरान्त ही प्राप्त की जावेगी,, उन वस्तुओं का निरीक्षण बोलीदाता द्वारा कराये जाने पर निरीक्षण की एवज में देय निरीक्षण प्रभार की राशि का भुगतान विभाग द्वारा किया जावेगा इस हेतु बोलीदाता को सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्ठित निरीक्षण गृहो में जमा कराई गई राशि की रसीद प्रस्तुत करनी होगी

(vi) रद्द करना (Rejection):– निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुऐ अनुमोदित नहीं की जाऐगी उन्हे रद्द किया जावेगा तथा बोलीदाता द्वारा कय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही,स्वयं की लागत पर उन्हे बदला जावेगा ।

(vii) यदि रद्द किये गये सामान को जनहित/सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से बदलना साध्य (Feasible) नही समझा जावे तो विभागीय उपापन समिति बोलीदाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देकर तथा कारणों को अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटोती कर सकेंगें । इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी ।

(viii) आपूर्ति किया गया माल/आईटम निर्धारित स्पेसिफिकेशन अथवा वांछित गुणवत्ता का नहीं पाये जाने पर बोलीदाता के विरूद्व विभाग आपराधिक एवं दीवानी कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

(ix) यू.पी.एस. का निरीक्षण तृतीय पार्टी के द्वारा करवाया जायेगा।

17. माल की सप्लाई :–

(i) बोलीदाता सप्लाई के समय माल की उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सडक या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति मे उनमे कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके । माल प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त सामग्रियों की जांच, निरीक्षण किये जाने पर माल में पाई गई किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव (Leakage) या किसी कमी के होने के मामले मे हुई हानि एंव कमी की पूर्ति के लिए बोलीदाता उतरदायी होगा । इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नही की जाएगी ।

(ii) यदि बोलीदाता द्वारा माल की सप्लाई निर्धारित मानदण्ड एवं स्पेसीफिकेशन के अनुसार नही की जाती है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय संविदा को निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए संविदा को निराकृत (Repudiate) कर सकते है ।

(iii) बोलीदाता द्वारा समस्त माल रेल्वे या गुडस ट्रान्सपोर्ट के जरिये भाडा एवं अन्य प्रभार आदि चुका कर FOR जयपुर मुख्यालय भेजा जाऐगा ।

18. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की और से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी ।

19. सुपुर्दगी अवधि (Delivery Period)

(i) जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाऐगी वह बोली सूचना एवं परिशिष्ट–'अ' में अंकित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई करेगा । सप्लाई अवधि, विभाग द्वारा जारी सप्लाई आदेश की दिनांक से शुरू होगी ।

(ii) फर्म निर्धारित समयावधि में आपूर्ति करने में असफल रहती है तथा अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही सप्लाई अवधि बढवाना चाहती है तो उसे उन बाधाओं का उल्लेख करते हुए, जिनके कारण सप्लाई अवधि बढवाई जा रही है, लिखित में आवेदन करना होगा। क्रेताधिकारी द्वारा सप्लाई अवधि बढाने या नहीं बढाने का निर्णय लिया जावेगा ।

(iii) निर्धारित की गयी प्रदायगी अवधि के बराबर अवधि तक, परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित, प्रदायगी अवधि में अधिकतम अभिवृद्वि की जा सकती है। किन्तु जिन मामलों में फर्म द्वारा सामग्री विदेशों से आयात करके सप्लाई की जानी है या किसी सिस्टम से संबंधित, सामग्री सप्लाई किए जाने के बाद, इन्सटालेशन किया जाना है वहॉ प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर घटित बाधाओं से संतुष्ट होने पर क्रेताधिकारी सप्लाई अवधि आगे भी बढा सकेगी।

20. माल (Goods) एवं सेवाओं (Services) के परिमाण (मात्रा) वृद्वि एवं पुनरादेश (Repeat Orders)

(i) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण कोई माल/सेवा का उपापन नहीं करती है या विनिर्दिष्ट मात्रा से कम अप्राप्त करती है तो बोली लगाने वाला किसी भी दावें या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(ii) अतिरिक्त मदों (Items) या अतिरिक्त मात्रा के लिए पुनरादेश (Repeat Orders), संविदा में दी गई दरों और शर्तो पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियॉ आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया है। प्रदायगी या कार्य पूर्ण करने की अवधि भी आनुपातिक रूप से बढाई जा सकेगी। पुनरादेश किसी भी स्थिति में मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50% से अधिक नहीं होगा।

(iii) पुनरादेश अन्तिम प्रदायगी समाप्त होने की दिनांक से एक माह के बाद पुनरादेश के लिए ऐसे प्रदायगी आदेश नहीं दिये जावेंगे। यदि बोलीदाता ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो विभाग सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित बोली द्वारा या अन्य प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत आऐगी उसकी वसूली बोलीदाता से की जायेगी।

21. संविदा के अधिनिर्णय (Award of Contract) के समय एक से अधिक बोलीदाताओं के मध्य विनिर्दिष्ट मात्रा का विभाजन :–सामान्यतः उपापन की विषयवस्तु (मात्रा/सेवा) की समस्त मात्रा उस बोलीदाता से उपाप्त क्रय की जावेगी जिसकी बोली स्वीकार की गई है। तथापि जब यह समझा जावे कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु की मात्रा बहुत अधिक है और इस सम्पूर्ण मात्रा प्रदाय करना उस बोली लागाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गई है या जब यह समझा जावे कि उपापन की विषयवस्तु गंभीर और महत्वूपर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में वस्तु की मात्रा को, प्रथम न्यूनतम बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की गई और द्वितीय निम्नतम बोलीदाता या इसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के मध्य अनुमोदित बोलीदाता की दरों पर ऋजु (Fair) पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा।

22. बोली प्रतिभूति (Bid Security) :–

(i) राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य बोलीदाताओ द्वारा बोली के साथ बोली आमंत्रण सूचना में अंकित मात्रा अनुसार निर्धारित रूप में बोली प्रतिभूति जमा करवाई जावेगी। बोली प्रतिभूति राशि के बिना प्राप्त बोली संक्षिप्त कार्यवाही के बाद निरस्त कर दी जावेगी।

(ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को बोली प्रतिभूति प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु बोली प्रतिभूति के स्थान पर, बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से ली जायेगी।

(iii) राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जिन्हें उधोग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन ॥ अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त हो के अतिरिक्त अन्य फर्मो को बोलियों के साथ बोली आमंत्रण सूचना में अंकित निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन ॥ अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है, द्वारा बोली सूचना में अंकित बोली प्रतिभूति राशि की चौथाई राशि बोली के साथ मान्य स्वरूप मे एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान राज्य में अभिस्वीकृति प्राप्त उद्यमों को बोली प्रतिभूति राशि में छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जबकि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जावेगी। उक्त बिन्दुओ में अंकित प्रमाण पत्र बोली जारी होने की अन्तिम तिथि से पूर्व के जारी हो। उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही बोली प्रतिभूति राशि में छूट प्रदान की जा सकेगी। उक्त दोनो प्रमाण पत्रों के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया जावेगा और निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जावेगा। राजस्थान राज्य की किसी भी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बोली प्रपत्र, निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क के 50% के बराबर लागत पर उपलब्ध कराया जायेगा जबकि प्रदायक फर्म द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित होगी। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 में अंकित फार्म 'B' के अनुसार शपथ पत्र ऑनलाईन बोली के साथ उपलब्ध कराने होंगे। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी।

(iv) बोली आमंत्रण सूचना में अंकित प्रत्येक आईटम हेतु अलग से बोली प्रतिभूति राशि महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर के नाम से निम्न रूप में दी जाऐगीः–

(अ) नकद– शीर्ष ''8443'' सिविल निक्षेप– 103– प्रतिभूति निक्षेप'' के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान से जमा कराई जा सकती है । या

(ब) शिडयूल्ड बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक के द्वारा जमा कराई जावेगी ।

(स) बोली प्रतिभूति राशि अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूप विधान में बैंक गारन्टी यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित कराई जावेगी।

(v) बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय (Refund of Bid security):– असफल बोलीदाता/बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूति राशि, बोली पर अंतिम रूप से निर्णय लेने के बाद, यथाशीघ्र लौटाई जाऐगी

(vi) (अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि को नई बोलीओं के लिए बोली प्रतिभूति राशि के विरूद्व समायोजित नहीं किया जाऐगा। तथापि मूल रूप से जमा कराई गई बोली प्रतिभूति बोली के पुनः आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है। बोली प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज देय नहीं होगा।

(vii) सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर या उपापन प्रकिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूति लौटा दी जावेगी।

(viii) बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security):– बोली प्रतिभूति राशि का निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) कर लिया जाऐगा :

(क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है।

(ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।

(ग) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है ।

(घ) जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में सप्लाई प्रारम्भ नहीं करता।

(ड.) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय–6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

23. करार एवं सुरक्षा राशि (Agreement and Performance Security) :–

(अ) बोली सूचना में अंकित आईटम की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक हैं। अनुबन्ध करार के पश्चात आपूर्ति आदेश दिया जावेगा । अनुबंध करार निम्न प्रकार किया जावेगा :–

(i) करार पत्र के निर्धारित प्रारूप में निर्धारित अवधि में अनुबन्ध निष्पादन नहीं करने पर बोली निरस्त योग्य है ।

(ब) बोली आमंत्रण में अंकित आईटम की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में माल के प्रदाय के लिए प्रस्तावित परिमाण की रकम की पॉच प्रतिशत राशि कार्य निष्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी एवं उक्त रकम के 0.25 प्रतिशत मय सरचार्ज अधिकतम रूपये 15,000 तक के बराबर राशि के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा। करार पत्र निर्धारित प्रारूप में नियत अवधि में निष्पादन नहीं करने पर बोली निरस्त योग्य है ।

(स) करार पत्र के साथ जिस सामान के लिए बोली स्वीकार की गई है, उसके लिए निम्नांकितानुसार प्रतिभूति राशि निर्धारित रूप में जमा करानी होगी:–

(i) कार्य सम्पादन प्रतिभूतिः–कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अर्भ्यथना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हो और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से की जायेगी। तथापि, उनसे एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

(ii) यदि सफल बोलीदाता उस आईटम के लिए राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जो उधोग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा अद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त हो तो उस आईटम के लागत मूल्य के 1% के बराबर प्रतिभूति राशि जमा कराई जावेगी ।

(iii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से भिन्न रूग्ण उद्योंगो जिनके मामले औधौगिक और वित्तीय पुननिर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, के मामले में आइटम्स के लागत मूल्य के 2% के बराबर होगी।

(iv) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य सफल बोलीदाता को उस आईटम के लागत मूल्य के 5% के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराई जावेगी ।

(v) सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

(vi) सुरक्षा राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाऐगा ।

(vii) सुरक्षा राशि महानिदेशक कारगाार राजस्थान के नाम से निम्न रूप में दी जा सकेगी:–

- (क) " ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा "
- (ख) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक,
- (ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखित, यदि वह सुसंगत निमयों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।
- (घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियॉ। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।
- (ड.) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित (discharged)की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद की मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा एवं ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहत कर ली जायेगी।

(च) खण्ड ख से ड. के प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारन्टी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदांत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी।

नोटः— अनुबंध पत्र के साथ एन.एस.सी. / पासबुक / डिफेंस बचत पत्र / किसान विकास पत्र आदि Pledge की हुई प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

(viii) संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारन्टी अवधि (यदि कोई हो तो) की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरूद्व कोई देय बकाया (Outstanding dues) नहीं है, निम्न अवधि में कार्य सम्पादन प्रतिभूति का प्रतिदाय (Refund) किया जाऐगा ।

(क) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार आईटम की अंतिम सप्लाई या गारण्टी की अवधि समाप्ति, जो बाद में हो, से एक माह के भीतर ।

(ख) यदि माल की सप्लाई को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो अंतिम सप्लाई या गारण्टी अवधि की समाप्ति, जो बाद में हो, के दो माह के भीतर ।

(ix) सुरक्षा राशि का समपहरण (Forfeiture of Security Deposit):— सुरक्षा राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों मे समपहरण (Forfeiture) किया जाऐगाः—

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लधंन किया गया हो ।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो

(ग) जब बोलीदाता सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो । सुरक्षा राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाऐगा । इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा ।

(x) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने तथा सुरक्षा राशि को गिरवी करने में हुआ व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाऐगा तथा विभाग को करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (Counter foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाऐगी ।

(xi) बोलीदाता द्वारा करार के निष्पादन के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जाऐगेः—

(अ) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (Partnrership Deed) की एक अभिप्रमाणित प्रति ।

(ब) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष ।

(स) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास तथा कार्यालय का पता,टेलिफोन नम्बर।

(द) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण—पत्र

(xii) साझेदारी फर्म / कम्पनी की स्थिति में बोली एवं अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करने सम्बन्धी अधिकार पत्र फर्म / कम्पनी द्वारा संलग्न किया जाये ।

24. बीमाः—

बोलीदाता द्वारा सामान गंतव्य स्थान पर सही दशा में सुपुर्द किये जाऐगे । यदि सप्लायर चाहे तो मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ, मौसम में पडा रहने के कारण या अन्यथा (युद्ध, दंगे, विद्रोह आदि द्वारा) हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा । यह बीमा प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जाऐगा तथा विभाग / राज्य सरकार से इन प्रभारों के भुगतान की अपेक्षा नहीं की जाऐगी।

25. भुगतानः—

(i) सप्लायर द्वारा सप्लाई किये गऐ माल के संबंध में, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियो में प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाऐगा ।

(ii) माल के भुगतान करने पर किये गऐ प्रेषण प्रभार (Remittance Charges) बोलीदाता द्वारा वहन किए जावेगे ।

(iii) विवादस्पद आईटम के संबंध में 10% से 25% तक राशि रोकी जाऐगी तथा विवाद का निपटारा हो जाने पर ही उसका भुगतान किया जा सकेगा ।

(iv) उन मामलों में जिनमें परीक्षण की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाऐगा जब विहित परीक्षण कर लिये जाऐगे तथा परीक्षण से प्राप्त परिणाम विहित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप होगे ।

(v) संविदा पत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट अवधि को संविदा के सार के रूप में समझा जाऐगा तथा सफल बोलीदाता, विभाग से प्रदायगी आदेश जारी होने पर, निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई पूर्ण करेगा ।

(vi) परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages):–
परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्वि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाऐगी जिनकी बोलीदाता सप्लाई करने में असफल रहा है:–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए–2.5%
(ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक – 5%
किन्तु विहित अवधि की आधी अवधी से अनधिक के लिए
(ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु – 7.5%
विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए
(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए–10%
(ड.) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड दिया जायेगा ।
(च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी ।
(छ) यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है । किन्तु वह, उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा ।
(ज) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे के कारणो से हुई हो, तो क्रेताधिकारी सुपुर्दगी की अवधि में परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित वृद्धि कर सकेगा।

नोट : प्रदायगी अवधि के अन्तिम तिथि को राजपत्रित अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को मध्यान्ह पूर्व तक प्रदायगी करने पर परिनिर्धारित क्षति की वसूली नही की जावेगी ।

26 वसूलियॉः–परिनिर्धारित क्षति, कम सप्लाई, टूट फूट रद्द की गयी वस्तुओ के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी । कम सप्लाई, टूट फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उनको नही बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) के साथ वसूली उसकी देय राशि (Due) एवं विभाग के पास उपलब्ध सुरक्षा राशि से की जायेगी । यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी. डी.आर. एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाऐगी ।

27. बोलीदाताओ को यदि आवश्यक हो तो, आयात लाईसेन्स प्राप्त करने के लिए अपनी स्वंय की व्यवस्था करनी होगी ।

28. बोली शर्तो के अतिरिक्त कोई शर्ते स्वीकार नही की जावेगी । यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है, जो बोली शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाऐगा । किसी भी स्थिति में बोलीदाता द्वारा दी गई शर्तों को स्वीकार किया हुआ नही समझा जाऐगा जब तक कि विभाग द्वारा जारी किये गये बोली स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उसको उल्लेखित नहीं कर दिया गया हो।

29. विभाग के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने या बोली सूचना में अंकित किसी भी आईटम को एक से अधिक सप्लायर को वितरित करने का अधिकार आरक्षित रहेगा ।

30. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो, किसी भी पक्षकार (सरकार या बोलीदाता) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाऐगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाऐगी।

31. बोली प्रस्तुत करने के बाद बोली के सम्बन्ध में बोलीदाता/उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जिसके हस्ताक्षर प्रमाणित किये हुये है, द्वारा किये गये पत्र व्यवहार ही स्वीकार्य होंगे।

32. मूल बोली प्रपत्रों के अतिरिक्त जिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिया चाही जा रही है वह स्वयं बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित की जानी आवश्यक है अन्यथा उक्त प्रतिलिपि/प्रतिलिपियां मान्य नही होगी ।

33. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि तक वैध होने चाहिए।

34. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट [illegible] करने पर ही विभागीय उपापन समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो पुनः वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण RTPP Rules 2013 के प्रावधानानुसार प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।

(विकास कुमार)
महानिरीक्षक कारागार–I
राजस्थान, जयपुर

मैने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर,
(बोली की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण–स्वरूप)

परिशिष्ट ''द''

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने जिन आईटम/स्टोर/कार्य के लिए बोली दी है, उनका/उनके लिए मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु)/वस्त्र निर्माता (जो ISO-9001/ISO-9002/ISO-9000/ISO-14000 प्रमाण पत्र धारक हो) थोक विक्रेता/थोक वितरक/सोल सेलिंग मार्केटिंग एजेण्ट/प्राधिकृत नियमित डीलर/डीलर हूँ/हैं मेरे द्वारा विभागीय परिशिष्ट 'अ, ब, स एवं इ तथा बोली सूचना को पूर्ण रूप से पढकर समझ लिया है। मेरे द्वारा उन शर्तो की पूर्ण पालना की गई है/करूंगा/करेंगे। और मैं/हम उन्हें अक्षरशः स्वीकार करते है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण कर लिया जावे तथा बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

TO WHOMSOVER IT MAY CONCERN

We are the manufacturer of .... We hereby certify that M/S Name).. of (Address) .... is our authorized dealer in the State of Rajasthan for Govt. Supply. He is authorized to participate in the Bid Notice No............................dt....................We hereby undertake that the material shall be supplied by us through him as desired.

(.....................................) Signature of Manufacturer

Name .... Name ....

Signature Attested Designation.................

Seal of Manufacturer

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Confict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
(g) disclose conflict of interest, if any and
(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :
   a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
   b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
   c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or
   d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
   e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
   f. The Bidder or any or its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
   g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

अनुलग्नक 'ब'

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No............... Dated .... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :
Place :

Signature of bidder
Name :
Designation :
Address :

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ____________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ____________

(1) Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

(a) Determination of need of procurement.

(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.

(c) The decision of whether or not to enter into negotiations.

(d) Cancellation of a procurement process.

(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –

(i)hear all the parties to appeal present before him: and

(ii) peruse of inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Form No.1
(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No………..of…………..

Before the ………………………………..(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
   (i) Name of the appellant :
   (ii)Official address, if any :
   (iii) Residential address :

2. Name and address of the respondent (s):
   (i)
   (ii)
   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :

6. Grounds of appeal :……………………………………………………………………………………………
   ………
   ………
   ………(Supported by an affidavit)

7. Prayer :………
   ……
   ……………………………………………………

Place ………………………………………
Date …………………………………
Appellant's Signature

परिशिष्ट "ई"

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

राज्य की कारागृहों के उपयोगार्थ On-Line 1 KVA UPS आदि क्रय हेतु शर्तें एवं स्पेशिफिकेशन

राज्य की कारागृहों के उपयोगार्थ On-Line 1 KVA UPS के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेशिफिकेशन आदि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

(क) एफ.ओ.आर. : केन्द्रीय भण्ड़ार, मुख्यालय कारागार, राज. घाटगेट, जयपुर।
(ख) कुल आपूर्ति अवधि : 30 दिवस
(ग) कुल मात्राः. निविदानुसार

(घ) स्पेशिफिकेशन :–

1. Technical Specifications - 2KVA Line Interactive UPS :-

S.No	Item	Technical Description
1	UPS Technology	Line Interactive
2	Rating VA	2000 VA
3	Output Watts	1200 or better
4	Input Voltage Range	145V- 295V
5	Input Frequency	50Hz ± 5
6	Output Volts	190V - 250V
7	Transfer Time	4ms - 6ms typical
8	Output Volts Regulation	230V±10%
9	Output Frequency	50Hz±1 Hz
10	Output Wave form	Stepped Sinewave
11	Recharge time	8 hrs for 90% charging
12	Front Display	LCD
13	Indicator	Mains ON/On Battery/Low Battery/Fault/Overload
14	Alarm	ON Battery mode /Fault condition, Over load, Low Battery
15	Restart	Auto Restart Facility
16	Cold Start	DC Cold Start Facility should be available in UPS
17	Protection Features	During Mains Input AC Supply Low/ High,Battery mode Input Low/High; Short circuit trip - under Mains/ Battery mode ; Over load Trip under Mains/ Battery mode
18	Plug Type	IN
19	Output Type	4 Nos. Indian plug
20	Input Protection	Input Fuse
21	Operating Humidity	0-95% without condensation
22	Operating Temperature	0 - 40 deg C
23	Product Certification	BIS certificate
24	OEM Certification	ISO9001/ ISO14001 & OHSAS
25	Battery backup	300, VAH or higher
26	Warranty	2 Years on Battery 5 Year UPS

नमूना एवं परीक्षणः—

1. परीक्षण/निरीक्षण प्रभारः— उक्त यूपीएस का निरीक्षण थर्ड पार्टी (तृतीय पार्टी) के द्वारा करवाया जायेगा। उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार विभाग द्वारा वहन किये जावेगें। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर पर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नही है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार बोलीदाता से वसूल किये जावेगें।
2. विभाग चाहेगा तो बोली सूचना में अंकित आईटम का डेमोस्ट्रेषन/प्रजेन्टेशन करवाया जा सकेगा। डेमोस्ट्रेषन/प्रजेन्टेशन में असफल पाये जाने पर बोली पर विचार नही किया जावेगा।
3. समस्त यूपीएस का इन्स्टॉलेशन संबंधित फर्म द्वारा ही किया जावेगा।
4. उपरोक्त सभी आईटमों की वारंटी अवधि (समस्त पार्ट्स/पुर्जे) 05 वर्ष की होगी जिसकी समयावधि का प्रारम्भ विभाग द्वारा आपूर्ति किये गये सभी आईटमों को स्वीकार किये जाने की तिथि से होगा।

महानिरीक्षक कारागार—I
राजस्थान जयपुर

मैनें/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/है इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तो स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)